समाहरणालय मधेपुरा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

पत्रांक................./

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार पटना।

मधेपुरा दिनांक......................./

विषय- विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि मुख्य सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के 8136/खाद्य दिनांक-27.12.2013 एवं प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-03/खाद्य दिनांक-01.01.2014 के द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना SECC का उपयोग करते हुए पात्र परिवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन के साथ साथ Integarted Software के आधार पर राशन कार्ड की छपाई की जानी है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर पात्र परिवारों को राशन कार्ड की आपूर्ति करने हेतु विज्ञापन प्रारुप की 05 (पाँच) प्रति सी० डी० सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को दो (2) दैनिक समाचार पत्र के बिहार संस्करण में प्रकाशित करवाने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.......22......./आ०,मधेपुरा दिनांक 21.1.2014/

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञापन अधिकारी, मधेपुरा को विज्ञापना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु अपने स्तर से भी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांक-03/खाद्य, दिनांक-01.01.2014 एवं मुख्य सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांक-8136 दिनांक -27.12.2013 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

20/01/14

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय मधेपुरा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना।

मुख्य सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-8136/खाद्य, दिनांक-27.12.13 एवं प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-03/खाद्य दिनांक-01.01.2014 के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2013 में जारी दिशा निर्देश के तहत पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड हेतु प्राप्त फॉरमेट के आलोक में विभाग द्वारा तैयार राशन कार्ड के नमूना के अनुरुप राशन कार्ड के मुद्रण कराने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्मो से तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय कक्ष में दिनांक-27.1.14 को अपराह्न 2:00 Pm बजे तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा को उसी दिन दिनांक 27.1.14 को अपराह्न 3:00 Pm बजे जिला क्रय समिति मधेपुरा के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदाता स्वंय अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदा की विस्तृत विवरणी जिला के बेबसाईट www.madhepura.bih.nic.in पर एवं जिला आपूर्ति शाखा, मधेपुरा में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

(क) निविदा की सामान्य शर्तेः-

1. तकनीकी एवं वितीय निविदा का लिफाफा अलग-अलग होना आवश्यक है।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वितीय निविदा खोला जायेगा।
3. विभाग से प्राप्त राशन कार्ड का नमूना जिला आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।
4. बगैर कोई कारण बताए निविदा रद करने, संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक वेडरों में कार्य को बांटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तेः-

1. फर्म को बिहार वाणिज्यकर, सेवाकर एवं आयकर विभाग से कम से कम तीन वर्षो से निबंधित होने का प्रमाण पत्र तथा आयकर पैन संख्या की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. फर्म की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो इस हेतु फार्म को अद्यतन कर शोधन प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष (2010-11, 2011-12 एवं 2012-13) का Audit and Balance Sheet संलग्न करना होगा, साथ ही फर्म का प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे तीन करोड़ रूपये का Turn Over होना अनिवार्य है।
3. फर्म को ESIC एवं EPFO से निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म का Printing कार्य हेतु ISO सर्टिफिकेशन अनिवार्य है।
5. फर्म को S.S.I. एवं बिहार Shop and Establishment Act के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
6. फर्म को मुद्रण कार्यो का 5 वर्षो का अनुभव एवं संतुष्टि प्रमाण-पत्र संलगन करना होगा।

7. निविदा के साथ जिलाधिकारी, मधेपुरा के पक्ष में 20,000/- (बीस हजार) रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रुप में जमा करना होगा।

8. तकनीकी निविदा के साथ विभाग द्वारा दिये गये राशन कार्ड नमूना के अनुरुप मुद्रित राशन कार्ड का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. आवंटित कार्य के Sub Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा, तथा किसी भी समय Sub Contracting यदि किया जाता है तो कायदिश वापस लेते हुए जमा की गई जमानत की राशि जब्त करते हुए फर्म पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

10. निविदादाता फर्म को इस आशय का शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्हें केन्द सरकार / राज्य सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तेः-

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता द्वारा राशन कार्ड के विशिष्टियों के अनुरुप सभी करों सहित प्रति मुद्रित राशन कार्ड की दर अंकित की जायेगी।

2. सफल निविदाता को आदेश निर्गत करने के 10 दिनों के अंदर जिला आपूर्ति कार्यालय में सामग्री आपूर्त्ति करनी होगी। तथ इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

3. गुणवत्ता मे कमी अथवा आपूर्त्ति में विलंब के लिए आपूर्तिकर्त्ता स्वंय जिम्मेवार होगा एवं तदनुसार उनके विपत्र का भुगतान स्थगित किया जा सकेगा अथवा विपत्र से सामानुपाती राशि की कटौती की जा सकेगी।

4. सभी करों की स्त्रोत पर कटौती कर भुगतान की जायेगी।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।